चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 20.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी तथा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए। बारी बारी टोलियों से ड्रिल करवाकर कमियों में सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास

परिसर,आरटीसी बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑर्मरी का निरीक्षण किया गया। बाद निरीक्षण परेड अर्दली रूम व आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर कहे रिक्रूट आरक्षियों के इनडोर परीक्षा का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी यातायात/कार्यालय श्री यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक श्री रामशीष यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व उनकी टीम ने दहेज हत्या के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 18.03.2026 को वादिया श्रीमती गायत्री देवी पत्नी बुद्धराज निवासिनी ब्यौहरा थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया की पुत्री रमा देवी उम्र 26 वर्ष से विवाह के बाद से ही अतिरिक्त दहेज में 03 लाख रूपये मांग करना तथा दामाद तोता द्वारा उसका मोबाइल तोड़ देना एवं मांग पूरी न होने पर उक्त ससुरालीजन द्वारा वादिया की पुत्री की हत्या कर फांसी पर लटका देना जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाना। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 81/2026 धारा 80(2),85,92,324(4) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1.तोता पुत्र बीरू 2.गोलकी पत्नी मंगाली 3.गेंदा पुत्र मंगाली 4.राजेन्द्र पुत्र अज्ञात निवासीगण तिलिहा मजरा भिटारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया।
दिनांक 19.03.2026 को उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्त तोता कुमार पुत्र कमलेश उर्फ बीरू निवासी ग्राम तिलिहा मजरा भिटारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय थाना मऊ
2.आरक्षी नन्दलाल

(4).आज दिनांक 20.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा प्रभारी कोतवाली कर्वी श्री विनोद कुमार शुक्ला की उपस्थिति में ईद-उल-फितर त्यौहार को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत कोतवाली कर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त मस्जिदों एवं ईदगाह स्थलों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही, स्थानीय धर्मगुरुओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद स्थापित कर आपसी सौहार्द एवं शांति बनाए रखने की अपील की गई।
अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

(5).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनाँक 20.03.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से

चिन्हित थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 181/15 धारा 148,452,323,149,171च,504,506 भादवि 07 आपराधिक विधि संसोधन अधिनियम व 14 डी0ए0ए0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.छोटू उर्फ छोटवा कोल पुत्र चन्द्रभान निवासी निही थाना मानिकपुर 2. चौधरी उर्फ रजौला पुत्र शिवमंगल कोल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.12.2015 को वादी श्री मुन्ना तिवारी निवासी ग्राम गिदुरहा रानीपुर कुबरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि 8/10 बदमाश जो बबुली बदमाश बनकर चुन्नु पुत्र जीतप्रसाद के घर में दरवाजा खुलवाकर घुसे और गाली गलौच व मारपीट करते हुये बोले कि अपना वोट गदा पर दिलवाना एवं अन्य व्यक्तियों के साथ मारपीट करना तथा गांव में दहशत फैलाना । इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 181/15 धारा 148,452,323,149,171च,504,506 भादवि 07 आपराधिक विधि संसोधन अधिनियम व 14 डी0ए0ए0 एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री केशरी प्रसाद द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 16.07.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री हरी सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका से छेड़खानी व अश्लील हरकत करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 17.03.2026 को थाना मानिकपुर अन्तर्गत एक वादी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 16.03.2026 को अभियुक्त दद्दू उर्फ दिनेश पुत्र दिग्गज द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री उम्र करीब 06 वर्ष के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकत करना ।इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0स0 39/26 धारा 75(1) (i) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम दद्दू उर्फ दिनेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 20.03.2026 को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दद्दू उर्फ दिनेश उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री हरी सिंह

2.मुख्य आरक्षी अशोक कुमार शर्मा